

## इलेक्ट्रॉनिक अनुमोदन

स्वामित्व:	निदेशक, कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व एवं धारणीयता	दस्तावेज सं.:	6.1.17
अनुमोदनकर्ता:	SVP, CHRO	संशोधन की तारीख:	22 फरवरी 2022

## 1.0 प्रयोजन

CommScope, inc., इसकी सहायक कंपनियाँ और इसके सहयोगी संगठन (सामूहिक रूप से, "CommScope" या "कंपनी") यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है कि कर्मचारियों और अन्य कर्मियों के साथ [अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन \(ILO\)](#), [मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणापत्र \(UDHR\)](#), [संयुक्त राष्ट्र \(UN\) वैश्विक कॉम्पैक्ट](#), [उत्तरदायी व्यवसाय संगठन \(RBA\) आचार संहिता](#) और सामाजिक जबावदेही के [SA8000](#) के संबंध में लागू कानूनों और मान्यता-प्राप्त मानकों का अनुपालन करते हुए गरिमा और सम्मान का व्यवहार किया जाए।

## 2.0 कार्यक्षेत्र

यह आकस्मिक श्रम समेत सभी वैश्विक CommScope कर्मचारियों पर लागू होता है।

## 3.0 संबंधित प्रलेखन, गुणवत्ता प्रणाली प्रपत्र, डेटा और रिकॉर्ड

## 3.1 संबंधित प्रलेखन

संख्या	पदनाम
SA 8000	सामाजिक उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय मानक
6.1.18	बाल श्रम नीति
N/A	<a href="#">मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणापत्र</a>
N/A	<a href="#">संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कॉम्पैक्ट</a>
N/A	<a href="#">अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन</a>
N/A	<a href="#">उत्तरदायी व्यवसाय गठबंधन आचार संहिता</a>
N/A	<a href="#">CommScope आचार और व्यापार आचरण संहिता</a>

## 4.0 नीति

CommScope अपने कर्मचारियों के मानवाधिकारों को बरकरार रखेगी और प्रत्येक कर्मचारी के साथ गरिमा और सम्मान से व्यवहार करेगी। हम, जहां भी संभव हो, अपने संपूर्ण प्रचालनों में, हमारी नीतियों या स्थानीय कानून का पालन करते हुए, जो भी उच्चतर मानक निर्धारित करता है, स्थानीय कानून के अनुपालन से आगे जाने का प्रयास करते हैं:

4.1 **स्वतंत्र रूप से चुने हुए रोजगार।** CommScope किसी जबरन या अनिवार्य श्रम का इस्तेमाल नहीं करेगी, चाहे वह जेल श्रम, गुलाम श्रम के रूप में हो, अनुबंधित श्रम के, बंधुआ मजदूर के रूप में हो या अन्यथा। CommScope मानव तस्करी में संलग्न नहीं होगी या उसका समर्थन नहीं करेगी। सुविधाकेंद्र में किसी भी कर्मचारी की आवाजाही की स्वतंत्रता पर कोई अनुचित प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, न ही कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में शामिल होने या बाहर निकलने पर कोई अनुचित प्रतिबंध होना चाहिए। जहाँ परंपरागत है, वहाँ कर्मचारियों को उनकी मूल भाषा में लिखित रोजगार अनुबंध प्रदान किया जाएगा। जब तक कानून द्वारा अपेक्षित न हो, CommScope सरकार द्वारा जारी पहचान और/या व्यक्तिगत दस्तावेजों की मूल प्रतियों को नहीं रखेगी/नहीं रोकगी। सभी कार्य स्वैच्छिक हैं और कर्मचारी किसी भी समय काम छोड़ने या अपने रोजगार को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं यदि कर्मचारी के अनुबंध के अनुसार उचित नोटिस दिया जाता है, और उनसे अपने रोजगार के लिए नियोक्ताओं या एजेंटों की भर्ती शुल्क या अन्य संबंधित शुल्क का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

- 4.2 कोई बाल श्रम नहीं CommScope काम के लिए न्यूनतम उम्र के मामले में स्थानीय कानूनों और अपेक्षाओं का पालन करेगी और बाल श्रम को काम पर नहीं रखेगी। CommScope की बाल श्रम नीति बाल श्रम और युवा कामगारों के संबंध में अपनी नीति के ब्यौरे निर्धारित करती है।
- 4.3 **न्यूनतम मजदूरी।** CommScope न्यूनतम मजदूरी, ओवरटाइम के घंटों और कानूनी रूप से अधिदेशित लाभ के मामले में लागू कानूनों और/या मान्यता-प्राप्त स्थानीय प्रथाओं का पालन करेगी। स्थानीय कानूनों का अनुपालन करते हुए, कर्मचारियों को ओवरटाइम के लिए नियमित घंटे की दरों से अधिक वेतन दरों पर मुआवजा दिया जाएगा। अनुशासनात्मक उपाय के रूप में नियमित वेतन से कटौती की अनुमति नहीं होगी। प्रत्येक वेतन अवधि के लिए, कर्मचारियों को समय पर और समझने योग्य वेतन विवरण प्रदान किया जाएगा जिसमें किए गए कार्य के लिए सटीक मुआवजे को सत्यापित करने हेतु पर्याप्त जानकारी शामिल होगी। अस्थायी, प्रेषण और आउटसोर्स श्रम का सभी उपयोग स्थानीय कानून की सीमाओं के भीतर किया जाएगा।
- 4.4 **काम करने के घंटे।** CommScope लागू कानूनों का और/या काम के घंटों, ब्रेक और सार्वजनिक अवकाशों के मामले में मान्यता-प्राप्त स्थानीय प्रथाओं का पालन करेगी। जब तक लागू कानून या स्थानीय प्रथाएं कम घंटों का आदेश न दें तब तक CommScope आमतौर पर कर्मचारियों से किसी दिए गए सप्ताह में 60 घंटे से अधिक काम करने की अपेक्षा नहीं करती है। तथापि, CommScope साप्ताहिक घंटों के मामले में स्थानीय प्रथाओं और रीति-रिवाजों को ध्यान में रखती है और कम घंटों की आवश्यकता वाले किसी भी लागू स्थानीय कानूनों का पालन करेगी। सामान्य तौर पर, ओवरटाइम काम स्वैच्छिक होता है, और कर्मचारियों को हर छह लगातार कार्य दिवसों के बाद कम से कम एक दिन की छुट्टी मिलेगी, लेकिन अगर कोई आपात स्थिति या व्यवसाय के लिए आवश्यकता है तो CommScope इस दृष्टिकोण (जहाँ कानून द्वारा अनुमति दी गई है) से हट कर निर्णय ले सकती है।
- 4.5 **कोई कठोर, अमानवीय व्यवहार या दुर्यवहार नहीं।** CommScope हर कर्मचारी से गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार करेगी। किसी भी स्थिति में CommScope के कर्मचारियों को जानबूझकर वास्तविक या धमकी भरी हिंसा (लिंग आधारित हिंसा सहित), यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, शारीरिक दंड, मानसिक या शारीरिक दबाव, धमकाने, सार्वजनिक रूप से शर्मसार करने या मौखिक दुर्यवहार का शिकार नहीं बनाया जाएगा।
- 4.6 **विविधता, भेदभावरहित और प्रताड़नारहित।** CommScope विविधता को महत्व देती है। CommScope ने नस्ल, रंग, धर्म, लिंग, आयु, यौन झुकाव, लिंग पहचान और अभिव्यक्ति, जातीय या राष्ट्रीय मूल, विकलांगता, गर्भावस्था, राजनीतिक संबद्धता, यूनियन की सदस्यता, कवर की गई वयोवृद्ध स्थिति, संरक्षित आनुवंशिक जानकारी, वैवाहिक स्थिति या लागू कानून द्वारा संरक्षित किसी अन्य स्थिति के आधार पर अपनी रोजगार प्रथाओं में भेदभाव को रोकने के लिए नीतियाँ और प्रक्रियाएँ स्थापित की हैं। कर्मचारियों को विकलांगता और धार्मिक प्रथाओं के लिए उचित आवास प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, कर्मचारियों या संभावित कर्मचारियों का चिकित्सीय परीक्षण या ऐसी जाँच नहीं की जाएगी जिनका इस्तेमाल संरक्षित स्थिति के आधार पर अधिक भेदभाव करने के लिए किया जा सकता है।
- 4.7 **एसोसिएशन की स्वतंत्रता** CommScope काम का सकारात्मक माहौल प्रदान करने, हमारे कर्मचारियों के साथ गरिमा का व्यवहार करने और खुला द्वार नीति उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जहाँ हम अपने कर्मचारियों के अपनी पसंद के ट्रेड यूनियन बनाने और उनमें शामिल होने के अधिकारों, सामूहिक रूप से सौदेबाजी करने और शांतिपूर्ण सभा में संलग्न होने के साथ-साथ स्थानीय कानूनों के अनुसार ऐसी गतिविधियों से बचने के लिए कर्मचारियों के अधिकार का का सम्मान करते हैं, वहीं हम यह भी मानते हैं कि हमारे कर्मचारियों, हमारी कंपनी और हमारे ग्राहकों को सबसे अच्छी सेवा तब मिलती है जब प्रबंधक और कर्मचारी भेदभाव, प्रतिशोध, धमकी या उत्पीड़न के डर के बिना खुलकर और सीधे एक-दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं।

CommScope संभावित मुद्दों पर तेज़ी से कार्रवाई करके, प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतकों के इस्तेमाल, आवधिक लेखा-परीक्षाओं के माध्यम से अनुपालन की निगरानी करके और सर्वोत्तम प्रथाएँ साझा करके, अपनी श्रम प्रथाओं में लगातार सुधार के लिए मेहनत करती है। CommScope अपने कर्मचारियों को प्रश्न पूछने या चिंताएँ रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करती है। हम किसी सद् विश्वास में किसी चिंता या संदिग्ध कदाचार

की रिपोर्ट करने के लिए प्रतिशोध को रोकने वाली सख्त नीति लागू करते हैं और जहाँ कानून द्वारा अनुमति हो वहाँ रिपोर्टों को गुमनाम रूप से भेजने की अनुमति देते हैं। कार्यविधियों की रिपोर्ट करना [CommScope आचार और व्यवसाय आचरण संहिता](#) में निर्धारित किया गया है।

## 5.0 संशोधन का इतिहास

जारी करने की तारीख	DCR	संशोधन
01 अक्टूबर 2010	6.1.17	नई श्रम नीति स्वामित्व/अनुमोदनकर्ता: जिम राइट (Jim Wright) (SVP, मानव संसाधन)
11 जनवरी 2011	6.1.17	अतिरिक्त HR नीतियों के संदर्भ शामिल करने के लिए धारा 12.0 क्रॉस रेफरेंस को अपडेट किया गया। स्वामित्व/अनुमोदनकर्ता: जिम राइट (Jim Wright) (SVP, मानव संसाधन)
30 नवंबर 2020	6.1.17	कंपनी के ब्रांडिंग दिशानिर्देशों के अनुकूल नया श्रम नीति प्रपत्र स्वामित्व/अनुमोदनकर्ता: रोबिन मिंगिल (Robyn Mingle) (SVP, CHRO)
22 फरवरी 2022	6.1.17	QMS की तर्ज पर नई श्रम नीति प्रपत्र। सारी धाराओं को अपडेट किया गया और RBA आचार संहिता के अनुसार बनाया गया। स्वामित्व: डेमियन ओ,सुलीवन (Damien O'Sullivan) (निदेशक, कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व एवं धारणीयता (Corporate Responsibility & Sustainability)) अनुमोदनकर्ता: रोबिन मिंगिल (Robyn Mingle) (SVP, CHRO)